

## मध्य प्रदेश परसीमन आयोग

### चर्चा में क्यों

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं की पुनः जाँच करने तथा सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाने हेतु [परसीमन आयोग](#) का गठन किया है।

### मुख्य बटु

- परसीमन आयोग का गठन:
  - इसका उद्देश्य सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाना तथा मौजूदा वसिगतियों को दूर करना है।
  - सागर, [उज्जैन](#), इंदौर और धार जैसे ज़िलों को अपने आकार के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- परसीमन:
  - इस प्रक्रिया में प्रत्येक [दशकीय जनगणना](#) के बाद के आँकड़ों के आधार पर [अनुसूचति जातियों \(SC\)](#) और [अनुसूचति जनजातियों \(ST\)](#) के लिये सीटों के आरक्षण सहति सीटों की संख्या तथा प्रादेशिक नरिवाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करना शामिल है।
  - भारतीय संविधान में प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अनविर्य कथिा गया है।
    - [अनुच्छेद 82 लोकसभा](#) के लिये सीटों के पुनर्रसमायोजन को अनविर्य बनाता है, जबकि [अनुच्छेद 170](#) राज्य स्तर पर इसी अभ्यास का प्रावधान करता है। यह प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर [भारत के राष्ट्रपति](#) द्वारा नयुक्त परसीमन आयोग नामक एक शक्तशाली नकियाय द्वारा की जाती है।
  - [राज्य सरकारें](#) प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिये ज़िलों और संभागों की सीमाओं को समायोजति करने हेतु परसीमन आयोग की नयुक्त करती हैं
    - उच्चस्तरीय आयोग का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नयुक्त एक अधिकारी करता है। इसके आदेशों में कानून की ताकत होती है और भारत के कसिी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
  - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियिमों के तहत परसीमन आयोग चार बार स्थापति कथिा गए हैं - वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
    - पहला परसीमन राष्ट्रपति द्वारा ([नरिवाचन आयोग](#) की सहायता से) वर्ष 1950-51 में कथिा गया था।